महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
NAAC A++ Accredited; ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांकः एम.जे.पी.रू.वि. / कु.स.का. / 2024 / 267 दिनांकः 08.01.2024

कार्यालय ज्ञाप

कुलसचिव के लिंक अधिकारी द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या रू0वि0 / कु0स0का0 / 2023 / 200 दिनांक 06.12.2023 के द्वारा स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में हो रही अनियमितता सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों की जांच और जांच आख्या माननीय कुलपति जी को उपलब्ध कराने हेतु एक मात्र जांच समिति का गठन निम्नवत किया गया है–

1. प्रो0 सोमपाल सिंह, प्राचार्य, डी0एस0एम0 कालेज, काँठ।
2. डा0 पंकज अरोड़ा, प्लांट साईंस विभाग, विश्वविद्यालय परिसर।
3. डा0 मुकुल गुप्ता, ई0आई0 विभाग, विश्वविद्यालय परिसर।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को कई जन प्रतिनिधियों / सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराया गया है कि डा0 सोमपाल सिंह द्वारा स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में परीक्षा समय में (विशेषकर रविवार को) जाकर कुछ प्रोफार्मा पर जानकारी उपलब्ध कराने का दबाव बनाया जाता है। जब डा0 सोमपाल सिंह से कुलसचिव के आदेश की प्रति उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया जाता है तो वह कुलसचिव के आदेश की प्रति देने से मना कर देते है। समिति के उक्त कार्यशैली से विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो रही है। अतः प्राप्त शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से कुलसचिव के लिंक अधिकारी द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या रू0वि0 / कु0स0का0 / 2023 / 200 दिनांक 06.12.2023 को निरस्त किया जाता है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समिति के सदस्यगण को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अब तक की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबंधक, समस्त सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि शिकायत हेतु गठित किसी भी जांच समिति के गठन की पुष्टि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से अवश्य कर लें।
5. वित्त अधिकारी।
6. परीक्षा नियंत्रक।
7. मीडिया प्रभारी।
8. उप कुलसचिव, परीक्षा / प्रवेश।
9. उप कुलसचिव, सम्बद्धता / प्रशासन।
10. प्रभारी, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
11. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।

08/01/24

कुलसचिव